न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ० भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 128/2022 G.C.M.S. No. 2022/334 दर्ज दिनांक : 18.11.2022

अपीलार्थीगण:

1–धापु पुत्री मूलाराम,
2–मोहनलाल पुत्र मूलाराम,
3–शंकरलाल पुत्र मूलाराम,
4–अणसी पत्नि पकाराम, जातिगण चौधरी, निवासीगण गुडा जैतसिंह, तहसील रानी, जिला पाली (राज.),

बनाम

प्रत्यर्थीगण:

1–भूरीदेवी पत्नि शंकरलाल, उम्र–बालिग,
2–मोहनी देवी पत्नि अमराराम, उम्र–बालिग, जातिगण खारडीया सीरवी, निवासीगण गुडा जैतसिंह, तहसील रानी, जिला पाली (राज.),
3–कन्या देवी पुत्री पकाराम, उम्र–बालिग,
4–खरताराम पुत्र पकाराम, उम्र–बालिग,
5–खीमाराम पुत्र पकाराम, उम्र–बालिग
6–गवरीदेवी पुत्री पकाराम, उम्र–बालिग,
7–गेहरीदेवी पुत्री पकाराम, उम्र–बालिग,
8–चुनाराम पुत्र रताराम, उम्र–बालिग,
9– छोगाराम पुत्र चेनाराम, उम्र–बालिग,
10–दिनेश पुत्र चेनाराम, उम्र–बालिग,
11–भेराराम पुत्र चेनाराम, उम्र–बालिग,
12–मानाराम पुत्र पकाराम, उम्र–बालिग,
13–रमेश पुत्र चेनाराम, उम्र–बालिग,
14–लेहरीदेवी पुत्री पकाराम, उम्र–बालिग,
15–लीला पुत्री चेनाराम, उम्र–बालिग,
16–हीराराम पुत्र रताराम, उम्र–बालिग,
17–नाजुदेवी पत्नि हीराराम, उम्र–बालिग,
18–हीराराम पुत्र डुंगाराम, उम्र–बालिग, जातिगण चौधरी, निवासीगण गुडा जैतसिंह, तहसील रानी, जिला पाली (राज.)
19–रतनसिंह पुत्र सुल्तानसिंह, उम्र–बालिग,
20–अर्जुनसिह पुत्र जयसिंह, उम्र–बालिग,
21–नारायणसिंह पुत्र जयसिंह, उम्र–बालिग, जातिगण–राजपूत, निवासीगण गुडा जैतसिंह, तहसील रानी, जिला पाली (राज.)
22–मगली पत्नि मूलाराम (फौत, विलोपित)
23–कन्या पुत्री मूलाराम,
24–सुखी पुत्री मूलाराम,
25–सोनीदेवी पत्नि चेनाराम, जातिगण चौधरी, निवासीगण गुडा जैतसिंह, तहसील रानी, जिला पाली (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

26–राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार रानी, तहसील रानी, जिला पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी रानी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 14/2021 बअनवान भूरीदेवी वगैरह बनाम अणसी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 28.07.2022 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री दौलत मकवाणा, श्री भरत उपाध्याय, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री नारायणलाल कुमावत, श्री पृथ्वीसिंह राजपुरोहित, राजसिंह चौधरी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 30.01.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी रानी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 14/2021 बअनवान भूरीदेवी वगैरह बनाम अणसी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 28.07.2022 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 व 2 ने आदरणीय न्यायालय मे अपीलार्थीगण व रेस्पोडेण्ट संख्या 3 लगायत 26 के विरूद्ध एक आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा–251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तहत पेश किया जो ओवदन–पत्र दिनांक 27.08.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थीगण व रेस्पोडेण्ट संख्या 3 लगायत 26 को आगामी पेशी तारीख 18.10.2021 के लिए जरिये नोटिस तलब करने एवं तहसीलदार रानी को प्रार्थना–पत्र मय तहरीर भेजकर मौका जांच हेतु लिखा जाने का आदेश पारित किया गया। उपरोक्त आदेश दिनांक 27.08.2021 की पालना में पेशी तारीख 18.10.2021 के लिए अपीलार्थीगण व रेस्पोडेण्ट संख्या 3 लगायत 26 को नोटिस जारी किये गये। आगामी पेशी तारीख 18.10.2021 को अपीलार्थी अणसी, रेस्पोडेण्ट संख्या 25 सोनीदेवी एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 3 से 11, 12 से 18 एवं 20, 21 व 26 पर नोटिस की तामिल मानी गई। रेस्पोडेण्ट संख्या 17 व 18 क्रमशः नाजुदेवी व हीराराम की ओर से आदरणीय न्यायालय में अधिवक्ता श्री कमलेश सेठिया ने वकालतनामा पेश किया तथा आगामी पेशी तारीख 09.11.2021 नियत की गई। पेशी तारीख 09.11.2021 को पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली आइन्दा दिनांक 20.12.2021 को नियत की गई। पेशी तारीख 20.12.2021 को वकील मण्डल द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखने से पत्रावली आइन्दा दिनांक 25.01.2022 नियत की गई। तत्पश्चात् रेस्पोडेण्टस् अर्जुनसिंह एवं नारायणसिंह की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेशजी माली ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। पेशी तारीख 25.01.2022 को कोरोना (कोविड–19) माहमारी के कारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

कार्य स्थगन रखा जाने से एवं आगामी पेशी तारीख 02.03.2022, 05.05.2022 को पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली आइन्दा दिनांक 21.06.2022 को नियत की गई। पेशी तारीख 21.06.2022 को तहसीलदार रिपोर्ट मय नक्शा के इंतजार मे आगामी पेशी तारीख 30.06.2022 नियत की गई। पेशी तारीख 30.06.2022 को पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली आइन्दा दिनांक 28.07.2022 को नियत की गई। पेशी तारीख: 28.07.2022 को रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता एवं रेस्पोडेण्ट नाजूदेवी, हीराराम के अधिवक्ता कमलेश सेठिया तथा रेस्पोडेण्ट अर्जुनसिंह, नारायणसिंह के अधिवक्ता प्रशान्तसिंह की बहस सुनी जाकर आदेश दिनांक 28.07.2022 पारित किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं कि अपीलार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 व रेस्पोडेण्ट संख्या 22 व 24 को आदरणीय न्यायालय द्वारा पेशी दिनांक 18.10.2021 के लिए जारी नोटिस में से अपीलार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 व रेस्पोडेण्ट संख्या 22 व 24 को जारी नोटिस अदम तामिल लौटे। फिर भी आदरणीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 व रेस्पोंडेण्ट संख्या 22 व 24 की तलबी किये बिना एवं अपीलार्थीगण को जवाब, साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत करने तथा सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एकतरफा आदेश दिनांक 28.07.2022 पारित किया। अधिन न्यायालय ने अपने पत्र क्रमांक/कोर्ट/2022/228 दिनांक 25.01.2022 द्वारा तहसीलदार रानी से रेकर्ड व मौका के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की। धारा–251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियम–69 के आज्ञापक प्रावधानो तहत मौका रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा सभी हितबद्ध पक्षकारों की उपस्थिति में बनायी जायेगी परन्तु उक्त नियम–69 के प्रावधान के विरूद्ध विवादित मौका रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 19 लगायत 21 के साथ मिलीभगत एवं मिलावट करते हुऐ अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 3 लगायत 18, 22 लगायत 25 को नोटिस एवं सूचना दिये बिना एकपक्षीय रूप से बनायी गयी जो तथ्य मौका रिपोर्ट के अवलोकन से साबित एवं रोशन है। इसके अलावा उक्त मौका रिपोर्ट व संलग्न नजरी नक्शा मे रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 की आराजी में आने जाने हेतू वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने के बावजूद गलत तथ्य अंकित कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई अतः योग्य अधिन न्यायालय ने उक्त नियम 69 की घोर अवहेलना कर भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के साथ मिलीभगत एवं मिलावट कर गलत एवं अधूरी एकपक्षीय रिपोर्ट के आधार पर जैर अपीलाधीन आदेश पारित किया। आदेश दिनांक 28.07.2022 की पालना हेतू रेस्पोडेण्ट संख्या 1, 2 व हल्का पटवारी दिनांक 12.09.2022 को सुबह करीब 10.30 बजे मौके पर आये और अपीलार्थीगण से कहा कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 द्वारा नये मार्ग

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी

हेतू प्रस्तुत प्रकरण में आप लोगों के खिलाफ फैसला हो गया है। अतः मौके पर प्रस्तावित मार्ग निकालना है। जिस पर अपीलार्थीगण उसी दिन रानी आये और अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर सारी बात बताई। जिस पर अधिवक्ता महोदय ने उक्त आदेश दिनांक 28.07.2022 सहीत उक्त अनवान की सम्पूर्ण पत्रावली प्राप्त करने के लिये नकल आवेदन दिनांक 13.09.2022 को पेश किया, जिस पर उपरोक्त आदेश दिनांक 28.07.2022 सहीत सम्पूर्ण पत्रावली की नकले अपीलार्थीगण के अधिवक्ता को दिनांक 20.09.2022 को मिली, जिसे पढने पर सर्वप्रथम बार दिनांक 20.09.2022 को अपीलार्थीगण को जैर अपील आदेश दिनांक 28.07.2022 की जानकारी हुई अतः जानकारी की दिनांक से अन्दर अवधि प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. योग्य अधिन न्यायालय मे प्रस्तुत किया तथा अब यह अपील अविलम्ब तैयार कर प्रस्तुत की जा रही हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलांट व दीगर रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध अपनी खातेदारी आराजी ग्राम इंदरवाड़ा तहसील रानी के खसरा संख्या 1077/1169 एवं 1082/1 तक पहुंच के लिए प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 28.07.2022 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील विलंब के साथ पेश की।
2. अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 क प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि आदेश दिनांक 28.07.202 की पालना हेतू रेस्पोंडेण्ट संख्या 1, 2 व हल्का पटवारी दिनांक 12.09.2022 को सुब करीब 10.30 बजे मौके पर आये और अपीलार्थीगण से कहा कि रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 व द्वारा नये मार्ग हेतु प्रस्तुत प्रकरण में आप लोगों के खिलाफ फैसला हो गया है। अ मौके पर प्रस्तावित मार्ग निकालना है। जिस पर अपीलार्थीगण उसी दिन रानी आये अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर सारी बात बताई। जिस पर अधिवक्ता महोदय ने आदेश दिनांक 28.07.2022 सहित उक्त अनवान की सम्पूर्ण पत्रावली प्राप्त करने के नकल आवेदन दिनांक 13.09.2022 को पेश किया, जिस पर उपरोक्त आदेश दिनां 07.2022 सहित सम्पूर्ण पत्रावली की नकले अपीलार्थीगण के अधिवक्ता को दिनां

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

09.2022 को मिली, जिसे पढ़ने पर सर्वप्रथम बार दिनांक 20.09.2022 को अपीलार्थीगण को जैर अपील आदेश दिनांक 28.07.2022 की जानकारी हुई। अतः अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

3. हमारे विनम्र मत में चूंकि प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं तथा प्रकरण में गुणावगुण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न विद्यमान है। जिसके निर्णयन के लिए उभयपक्षकारान को सुना जाना आवश्यक है। विलंब अपीलांट की लापरवाही व उदासीनता से कारित होना साबित नहीं हैं। अतः विलंबकाल युक्तियुक्त व सद्भाविक होने से माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

4. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.08.2021 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु दिनांक 18.10.2021 को नियत किया गया। दिनांक 18.10.2021 के अंकन अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 से 10, 12 से 19, 21, 22 व 23 का नोटिस बाद तामील प्राप्त होना अंकित किया गया है। अपीलांट सहित अप्रार्थीगण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कभी कोई एकपक्षीय कार्यवाही नहीं की गई, न ही अप्रार्थीगण संख्या 18, 19, 21, 22 जिनकी ओर से वकालतनामा प्रस्तुत हुआ, को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया तथा न ही जवाब बंद किया गया तथा दिनांक 28.07.2022 को तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त होने के अंकन के साथ अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को प्रेषित सम्मन की पुश्त पर तामील कुनिन्दा के अंकन के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट सहित समस्त अप्रार्थीगण को प्रेषित सम्मन की पुश्त पर तामील कुनिन्दा द्वारा "निवेदन है कि आसामी स्वयं बाहर गया हुआ था तो खुले मकान पर चस्पा किया गया तथा कोई पड़ोसी तस्दीक नहीं करते हैं।" की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन विधिवत तामील होना माना है। जब पक्षकार स्वयं बाहर होने का अंकन है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संबंधित के सही डाक पते के साथ पंजीकृत डाक से पुनः सम्मन प्रेषित करने के लिए प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाना आज्ञापक था। लेकिन ऐसी नहीं किया गया। साथ ही सभी सम्मन पर एक ही प्रकार की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि तामील कुनिन्दा द्वारा संबंधित अप्रार्थीगण के निवास पर गए बिना यंत्रवत रूप से रिपोर्ट की गई हैं। जो स्वीकार योग्य नहीं हैं। अतः हमारे विनम्र मत में अपीलांट सहित अप्रार्थीगण को विधिवत तामील नहीं होने व सुनवाई व प्रतिरक्षा का अवसर दिए बिना अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से अपीलाधीन आदेश समर्थन योग्य नहीं हैं।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट बखूबी साबित होने व अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश

राजस्व अपील अधिकारी
पाली

राजस्व अपील अधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

को अपास्त कर प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसंगत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी रानी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 14/2021 बअनवान भूरीदेवी वगैरह बनाम अणसी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 28.07.2022 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि प्रकरण में अप्रार्थीगण को जवाब प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए धारा 251–क एवं नियम 69 में विहित प्रावधानों तथा इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना करते हुए तथा प्रार्थी की आराजी तक पहुंच के लिए सभी संभव विकल्प प्रस्तावित करवाते हुए प्रकरण में पुनः विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 09.03.2026 को असालतन/वकालतन अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी रानी में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner